न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्या:–56/2017
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. गुरविन्द्रसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जट सिख निवासी कुलचन्द तहसील टिब्बी।
–प्रार्थी

बनाम

1. गुलाबदेवी पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी।
2. प्रदीप कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
–अप्रार्थीगण

उपस्थित:– 1. श्री महेश गौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक:–15.6.2018

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया गया कि प्रार्थी के नाम से चक नं. 7 एफटीपी के खाता संख्या 33/37 में प.नं. 214/249 मु.नं. 67 कि.नं. 1 ता 5 कुल तादादी रकबा 1.265 है. नहरी भूमि संलग्न जमाबन्दी प्रार्थना–पत्र के है।

प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि के किले नं. 2 ता 5 में आने जाने के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है। मौजूदा सूरत में प्रार्थी मन्जूर शुदा मुख्य रास्ता से अपने खातेदारी किला नं. 25 में प्रवेश करके अप्रार्थीगण के कि. नं. 6,15,16 में से होकर अपनी कृषि भूमि किला नं. 5 में प्रवेश करता है।

प्रार्थी खातेदार कृषक है और एक खातेदार कृषक को आये दिन अपनी कृषि भूमि के उपयोग व प्रयोग करने हेतु कृषि यन्त्र सहित आना जाना होता है। रास्ता मन्जूर शुदा ना होने की स्थिति में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि को समय पर काशत करने एवं समय पर तैयार फसल को काटने व निकालकर ले जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में प्रार्थी चक नं. 7 एफटीपी में जमाबन्दी खाता संख्या 38/27 में अंकित अप्रार्थीया के प.नं. 214/249 मु.नं. 67 कि.नं. 16/0.013 है. एक बिस्वा और अप्रार्थी संख्या 2 की इसी चक के खाता संख्या 63/45 के प.नं. 214/249 मु.नं. 67 के कि.नं. 6 व 15 में एक–एक बिस्वा यानि प्रत्येक में 0.013 है. (दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर) रास्ता मन्जूर करवाना चाहता है। आंशिक नजरी नक्शा चक नं. 7 एफटीपी पेश किया है। प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने–जाने और कृषि भूमि के उपयोग हेतु चक नं. 7 एफटीपी के प.नं. 214/249 मु.नं. 67 कि.नं. 6, 15,16 में प्रत्येक किला में एक बिस्वा यानि 0.013 है. (दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर) भूमि में से बतौर रास्ता मन्जूर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये अपना जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 से कोई विरोध नहीं है लेकिन प्रार्थी ने जानबूझकर अपना किला नं. 25 में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को आवागमन के रास्ता चालू अर्सा कदीम से है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में जो कथन जिस कदर लिखे है अस्वीकार है। प्रार्थी सद्भावी नहीं है या उसने सही तथ्यों को छुपाकर गलत कथन किये है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक नं. 7 एफटीपी के खाता संख्या 38 में प.नं. 214/249 मु.नं. 57 कि.नं. 13,16,17,18,22/1.265 है. तथा अप्रार्थी संख्या की कृषि भूमि चक नं. 7 एफटीपी के खाता संख्या 63 के प.नं. 214/249 मु.नं. 57 कि.नं. 6 से 10/1.265 है.,14,15/0.506 है. कुल 1.771 है. में है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम आम रास्ता स्वीकृत शुदा चालू है।

मुख्य रास्ता के उत्तर दिशा में प्रार्थी की भूमि प.नं. 214/249 के कि.नं. 25 की पूर्वी सीमा सीमा से उत्तर से दक्षिण 0.013 है. रास्ता अर्सा कदीम से चला आ रहा है जिस रास्ता में अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में से कि.नं. 25 में से होकर चालू रास्ता पर से आवागमन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित किला नं. 16 में प्रवेश कर दोनों अपनी संयुक्त भूमि में आवागमन करते है। प्रार्थी ने अपनी भूमि कि.नं. 2 से 4 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 2 की

Scanned by CamScanner